

भारतीय और न्यायिक



दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA JUDICIAL



"प्र० 26
(नियम 4क देखिए)

लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोटा (24) निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग—क

मैं, अशफाक अली ** पुत्र/पुत्री पत्नी श्री पीर मोहम्मद आयु 53 वर्ष, जो 80 सी प्रथम वक्फ नगर, दादाबाड़ी, कोटा (राज.) (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :—

(1) मैं, स्वतंत्र (** राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**) जो लागू न हो उसे काट दें।

(2) मेरा नाम कोटा दक्षिण (190), राजस्थान (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 40 के क्रम सं. 366 पर प्रकृति है।

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन

*Sworn & Solemnly affirmed to be
True before me. Hence attested.*

मेरा सोशल मिडिया एकाउन्ट मं. (यदि है तो) —नहीं है।

ZAMIRUDDIN ASLAM
Notary (Central) KOTA (Raj.)

(4) रथाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्तिः

फ्रम रं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्ष्ट द्वारा आय (रुपय में)
1.	स्वयं : अशफाक अली	AGXPA7110Q	2012-13	1,89,700/-
2.	पत्नी : हुस्न बार्नो	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	आश्रित 1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित 2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित 3 - लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं :- लागू नहीं होता

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं / हैं	लागू नहीं होता


(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में चर्चित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	कोई नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	कोई नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है) के ब्यौरे	कोई नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिजिल्लित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया हैं	कोई नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता



18/3/2014

(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिः	लागू नहीं होता
-----	--	----------------

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:
अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 — संयुक्त रवानित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 — जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 — सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 — यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 — रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम की स्थिति :- (दिनांक 24.03.2014 के अनुसार)	20,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	बैंक का नाम खाता संख्या पता	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा एरोड्राम सर्किल, कोटा	61216954459			
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों / " शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम		शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता



(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियान और मूल्यदान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य		शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(ix)	समग्र कुल मूल्य	50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता

आ. स्थावर आस्थियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 — संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 — प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए

क्रम सं.	विवरण	संचय	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) संवेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	“अनुमानित चालू मूल्य”	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) संवेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता				

Sworn & solemnly affirmed to be
True before me, hence attested.

M/5.3.4

ZAMIRUDDIN ASLAM


82/11/104

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	“अनुमानित चालू बाजार मूल्य”	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	110 चौपाई ग्रेन मण्डी कोटा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	348.50 वर्गफुट	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	348.50 वर्गफुट	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं		नहीं	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	23.12.2005	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1,65,538/-	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	“अनुमानित चालू बाजार मूल्य”	10,00,000/-	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं		नहीं	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	“अनुमानित चालू बाजार मूल्य”	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :—

टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दे।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता



18/2/2011
5

	पूर्वोक्त वर्णित से मिल किए अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	आय-कर शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	धनकर शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	सेवाकर शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(iii)	कोई अन्य शोध्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	लागू नहीं होता
(iv)	व्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के बौरे :

- (क) रवयं : इलेक्ट्रिक वर्क
(ख) पत्नी : नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

(प्रमाण पत्र/डिलोगो/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का बौरा दें)

विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	योग्यता
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भाटापाड़ा कोटा	1978	आठवीं

(भाग-ख)

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गये बौरों का उद्घारण

1.	अभ्यर्थी का नाम	Sworn & Solemnly affirmed before me. True before me. Notice attested.
30/5/2017 ZAMIRUDDIN ASLAM Notary (Central) KOTA (Raj)		

2.	डाक का पूरा पता	80 सी प्रथम वक्फ नगर, दादाबाड़ी, कोटा (राज.)				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	24 कोटा, राजस्थान				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र				
5.	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है। (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं होता				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं होता				
7.	का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है				
	(क) अभ्यर्थी AGXPA7110Q	2012-13				
	(ख) पत्नी लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				
	(ग) आश्रित लागू नहीं होता	शून्य				
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)	लागू नहीं होता				
	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम	10,15,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
ख.	स्थावर अस्तियाँ					
	1. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	2. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	3. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	लागू नहीं होता
9.	दायित्व					
	(1) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	(2) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(1) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	(2) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
11.	उच्चतम शैक्षिक डॉक्टर (प्रमाण पत्र / डिलीप्स / डिग्री पाठ्यक्रम के पृष्ठ पृष्ठ का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/नाहाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)					राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भादापाड़ा कोटा -1978

Sworn & Solemnly affirmed to be
True before me, hence attested.

 ZAMIRUDDIN ASLAM
 Notary (Central) KOTA (Raj.)

16/01/2017

सत्यापन


मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :—

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 से 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लेखित आरित या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं हैं।


आज तारीख 25/03/2014 को सत्यापित किया गया है।

25 - 03 - 2014



(अभिसाक्षी)

62/01/07



टिप्पण : 1 शपथ पत्र नामांकन फॉइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथ पत्र किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 शपथ पत्र सभी अस्थाये को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी बही है तो यह स्थिति "शून्य" लागू नहीं होता "उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथ पत्र टकित या सुपाठयरूप से साफ—साफ लिखित होना चाहिए।

(फा.सं.एच.-11019(6) / 2012-वि.ग)

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ.859, तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किय गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया —

- (1) संख्यांक का.आ. 728 (अ), तारीख 8 मई 2007
- (2) संख्यांक का.आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011।

